Only for: Will/Attorny/Lease/Adoption & Correction Deed

455

BAR ASSOCIATION DEHRADUN

उपहार – पत्र

वांछित विवरण

क्रमांक A 13510

1.	सरकारी मूल्य	: मु० 33,00,000/– रूपये
2.	मालियत	: शून्य
3.	कुल स्टाम्प शुल्क देय	: मु० 33,000/– रूपये
4.	स्टाम्प शीट की संख्या	: 01 (ई–स्टाम्प संख्या IN-UK57394414356451S)
5.	मुख्य क्षेत्र	: मौजा धोरणखास (राजेश्वर नगर), परगना परवादून, जिला देहरादून।
6.	भूमि का विवरण	: भूमि खाता खतौनी संख्या 936 के भूमि खसरा संख्या 459घ, रकबा 187.5 वर्गमीटर, स्थित राजेश्वर नगर, फेज–1, मौजा धोरणखास, परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।
7.	भूमि का प्रकार	: आवासीय भूमि
8.	प्रमुख मार्ग से दूरी	: उपहार में प्रदान भूमि नगर निगम सीमा के अन्तर्गत व सहस्त्रधारा चौक से आई.टी. पार्क के मध्य तथा मुख्य सहस्त्रधारा रोड़ से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
9.	सर्किल रेट	: मु० 16,000/– रूपये + 10 प्रतिशत = मु० 17,600/– रूपये प्रति वर्गमीटर
10.	उपहारदाता का नाम व पता	: श्री उमाशंकर सिंह रावत पुत्र स्व० श्री बाग सिंह, निवासी – ग्राम सोलडूंग्री, जिला चमोली, (उत्तराखण्ड)। **PAN : AAZPR7182B**
11.	उपहारगृहिता का नाम व पता	: श्री हरपाल सिंह रावत पुत्र श्री उमाशंकर सिंह रावत, निवासी – ग्राम सोलडूंग्री, जिला चमोली, (उत्तराखण्ड)। **Aadhar No. : 8398 5383 3262**

रचयिता : मुकेश जोशी (एडवोकेट), देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून/जिला निबन्धक देहरादून के पत्रांक
273/मु०नि०लि०/2015 दिनांक 19 अगस्त 2015 यथा संशोधित पत्रांक संख्या
190/मु०नि०लि०/2015 दिनांक 21 अगस्त 2015 के अनुपालन में
उप-निबन्धक कार्यालय, देहरादून में पंजीकरण हेतु प्राप्त विलेखों में अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का स्थलीय
फोटोग्राफ निष्पादित विलेख के दिनांक सहित 16.01.2020

विवरण भूमि/सम्पत्ति

भूमि खाता खतौनी संख्या 936 के भूमि खसरा संख्या 459घ, रकबा 187.5 वर्गमीटर, स्थित राजेश्वर नगर, फेज-1, मौजा धोरणखास, परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।

सत्यापित

हस्ताक्षर पक्षकारान् :-

सत्यापित

Scanned with CamScanner

455

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK57394414356451S
Certificate Issued Date	:	16-Jan-2020 12:36 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1201504/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120150417402309323195S
Purchased by	:	HARPAL SINGH RAWAT
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	DHORAN KHAS (RAJESHWAR NAGAR) DEHRADUN
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	UMASHANKAR SINGH RAWAT
Second Party	:	HARPAL SINGH RAWAT
Stamp Duty Paid By	:	HARPAL SINGH RAWAT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	33,000 (Thirty Three Thousand only)

Dinesh Agarwal Stamp Vendor Dehra Dun

Please write or type below this line

SR 0003576147

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with CamScanner

उपहार – पत्र

(GIFT DEED)

यह उपहार पत्र आज दिनांक 16.01.2020 को स्थान देहरादून में **श्री उमाशंकर सिंह रावत पुत्र स्व० श्री बाग सिंह, निवासी – ग्राम सोलडूंग्री, जिला चमोली, (उत्तराखण्ड)** (जिसको कि इस विलेख में उपहारदाता कहकर सम्बोधित किया गया है)

...............उपहारदाता

ने

श्री हरपाल सिंह रावत पुत्र श्री उमाशंकर सिंह रावत, निवासी – ग्राम सोलडूंग्री, जिला चमोली, (उत्तराखण्ड) (जिसको कि इस विलेख में उपहारगृहिता कहकर सम्बोधित किया गया है)

...............उपहारगृहिता

के पक्ष में अंकित व निष्पादित हुआ।

विदित हो कि उपहारदाता इस उपहार पत्र के अन्त में वर्णित भूमि का एकमात्र रूप से स्वामी, काबिज है। निम्न विवरण भूमि मुझ उपहारदाता के कब्जे व स्वामित्व में चली आ रही है। उपहारदाता ने निम्न विवरण भूमि उसके पूर्व स्वामी (1) श्री राकेश कुमार पुत्र स्व० श्री मंहगू सिंह (2) श्रीमती स्मृति सिंह पत्नी श्री राकेश कुमार द्वारा मुख्तारेआम श्री राकेश सिंह, निवासी -- बी–501, ग्रीन व्यू रैजीडेंसी, अमन विहार, देहरादून से विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2017 के माध्यम से क्रय की थी जो कि सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, देहरादून में दस्तावेज संख्या 8176 पर दिनांक 30.10.2017 पर विधिवत् दर्ज व पंजीकृत है।

उपहारदाता का निम्न विवरण भूमि में और अन्य कोई साझीदार व भागीदार नहीं है। उपहारदाता के साथ विक्रीत भूमि में कोई अन्य व्यक्ति एवं संस्था किसी प्रकार कोई हित अधिकार स्वामित्व आदि नहीं रखता है।

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 455 वर्ष 2020

Gift Immovable
Gift(Immovable)(Family-(Residential Plot))

प्रतिफल रु0 : 0.00
मालियत रु0 : 3,300,000.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 25,000.00	रु0 10.00	रु0 240.00	रु0 25,250.00	1,000

श्री उमाशंकर सिंह रावत पुत्र श्री स्व ० बाग़ सिंह निवासी ग्राम सोलडुग्री जिला चमोली ने आज दिनांक 16 Jan 2020 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून,तृतीय मे प्रस्तुत किया ।

उमाशंकर सिंह रावत

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
16-Jan-2020

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री उमाशंकर सिंह रावत पुत्र श्री स्व ० बाग़ सिंह निवासी ग्राम सोलडुग्री जिला चमोली \ ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार श्री हरपाल सिंह रावत पुत्र श्री उमाशंकर सिंह रावत निवासी ग्राम सोलडुग्री जिला चमोली \ ने भी स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री पंचम सिंह पुत्र श्री स्व ० अमर सिंह निवासी थराली चमोली तथा श्री मुकेश जोशी , ० निवासी कोर्ट कंपाउंड देहरादून ने की।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
16-Jan-2020

Scanned with CamScanner

यह कि उपहारदाता को अपनी निम्नलिखित भूमि को विक्रय अन्तरण के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और उपहार में प्रदान भूमि को विक्रय, दान, उपहार किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। इस प्रकार उपहारदाता को निम्न वर्णित भूमि को दान, हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वर्णित भूमि आज दिन तक हर प्रकार के वाद–विवाद एवं न्यायालय से पूर्णतः मुक्त एवं स्वच्छ स्वामित्व की है तथा किसी राजकीय व राष्ट्रीय प्रयोजन हेतु अधिग्रहित नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि उपहारदाता अपने सगे पुत्र **श्री हरपाल सिंह रावत** से अत्यधिक प्यार करता है इसलिये उपहारदाता अपने सगे पुत्र को कुछ उपहार देना चाहता है। इसी धारणा के तहत उपहारदाता अपनी निम्न वर्णित भूमि अपने सगे पुत्र **श्री हरपाल सिंह रावत** को उपहार में देता है।

अतः एवं एतद् द्वारा मैं उपरोक्त उपहारदाता अपनी स्वस्थ मानसिक व इन्द्रियों की दशा में बिना किसी के सिखलाये, बहकाये, बिना किसी अनुचित दबाव या प्रभाव के वरन अपनी स्वेच्छा से वैभव बावरी से प्राकृतिक एवं अत्यधिक स्नेह होने के कारण निम्न वर्णित भूमि उपहार करता हूँ तथा अपने तुल्य समस्त अधिकार भूमिधरी, स्वामित्व, मार्ग आवागमन जल प्रवाह, वायु प्रकाश आदि के सुखाधिकार जो भी इस भूमि में प्राप्त हैं या प्राप्त होने वाले है, के सहित उपहारगृहिता को सौपता हूँ। जिसको उपहारगृहिता सहर्ष स्वीकार करता है।

<u>अतः यह उपहार पत्र निम्न दर्शाता है –</u>

1. यह कि मैं उपहारदाता ने अपने इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को उपहार स्वरूप अपने सगे पुत्र **श्री हरपाल सिंह रावत** अर्थात उपरोक्त उपहारगृहिता को प्रदान कर दिया है तथा उपहारगृहिता को उक्त भूमि पर अपने समतुल्य काबिज करा दिया है एवं वर्तमान में वह मेरी ही तरह निम्न वर्णित भूमि का एकमात्र मालिक काबिज एवं स्वामी हो गया है और उसे मेरी ही तरह निम्न वर्णित भूमि में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

2 यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु उपहारदाता निम्न दर्शाता है –

HRawat

Scanned with CamScanner

क– यह कि उपहारदाता ने उपहारगृहिता को उपहार में प्रदान भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन समस्त अधिकारों एवं सुखाधिकारों सहित एवं उन समस्त अधिकारों एवं सुखाधिकारों सहित जो–जो भी उपहारदाता को उक्त भूमि के स्वामी के रूप में प्राप्त हैं तथा भविष्य में प्राप्त होने की सम्भावना है, सहित आज मौके पर प्रदान कर दिया है तथा उपहारगृहिता ने उपहार स्वरूप प्राप्त भूमि को सहर्ष स्वीकार कर भूमि का अध्यासन ग्रहण कर लिया है।

ख– यह कि उपहार में प्रदान भूमि के आज तक के समस्त लगान व सभी सरकारी व गैर सरकारी देनदारी इत्यादि उपहारदाता अदा करेंगे तथा आज के उपरान्त के समस्त कर लगान इत्यादि को अदा करने के लिये उपहारगृहिता उत्तरदायी होंगे।

ग– यह कि उपहारगृहिता को आज से अधिकार होगा कि वर्णित भूमि को जिस प्रकार चाहे, उपयोग व उपभोग करे, तथा जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल करे किसी को विक्रीत करे, किराये पर दे, हस्तान्तरित करे, किसी भी प्रकार का निर्माण करे, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाये, इसमें उपहारदाता को आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

घ-- यह कि प्रभावी अन्तरण हेतु यदि भविष्य में किसी दस्तावेज पत्र या प्रपत्र के अंकित करने की आवश्यकता पडती है तो उपहारदाता कथित दस्तावेज उपहारगृहिता के अनुरोध पर अंकित करेंगे तथा उक्त हेतु उपहारगृहिता को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

च– यह कि उपहारगृहिता को अधिकार होगा कि वह नगर निगम के अभिलेखों से उपहारदाता का नाम खारिज करवाकर अपना नाम बतौर मालिक, स्वामी, अंकित करवाये। नामांत्रण की कार्यवाही में उपहारदाता उपहारगृहिता का हर प्रकार से सहयोग आदि करेंगे।

छ-- यह कि उपहारदाता ने विवरण भूमि मे वर्णित भूमि का कब्जा स्थल पर उपहारगृहिता को पाक एवं साफ दशा में दे दिया है।

ज– यह कि उपहार में दी गयी भूमि के प्रतिफल स्वरूप किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन नहीं हुआ है।

झ-- यह कि उपहारदाता एव उपहारगृहिता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित नहीं हैं।

Scanned with CamScanner

वांछित विवरण —

3. यह कि उपहार में प्रदान भूमि नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत स्थित है।

4. यह कि उपहार मे प्रदान भूमि में कोई पेड़, बाग व निर्माण आदि नहीं है।

5. उपहार मे प्रदान भूमि नगर निगम सीमा के अन्तर्गत व सहस्त्रधारा चौक से आई. टी. पार्क के मध्य तथा मुख्य सहस्त्रधारा रोड़ से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है तथा उपहार में प्रदान भूमि की भूमि का कुल रकबा 187.5 वर्गमीटर है जिसका सरकारी मूल्य मु० 16,000/– रूपये + 10 प्रतिशत = मु० 17,600/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मु० 33,00,000/– रूपये बनता है जिस पर उपहारदाता एवं उपहारगृहिता सगे पिता–पुत्र होने के कारण नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से मु० 33,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

6. यह कि वर्तमान उपहार विलेख में जहां–जहां उपहारदाता एवं उपहारगृहिता आया है, उससे उनका तात्पर्य उनके वारिसान, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि–आदि से भी लगाया जायेगा।

7. यह कि उपहार में प्रदान भूमि का अक्षांश 30.355127 व देशान्तर 78.082904 है।

विवरण भूमि

भूमि खाता खतौनी संख्या 936 के भूमि खसरा संख्या 459घ, रकबा 187.5 वर्गमीटर, स्थित राजेश्वर नगर, फेज–1, मौजा धोरणखास, परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग की रेखाओं से घिरा दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमाएं व नाप निम्न प्रकार हैं :—

पूरब में : भूमि अन्य, सीमा में नाप 25 मीटर

पश्चिम में : भूमि उपहारदाता, सीमा में नाप 25 मीटर

उत्तर में : 12 मीटर चौड़ी सड़क, सीमा में नाप 7.5 मीटर

दक्षिण में : भूमि अन्य, सीमा में नाप 7.5 मीटर

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 31–ए अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस

उपहारदाता के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दाये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

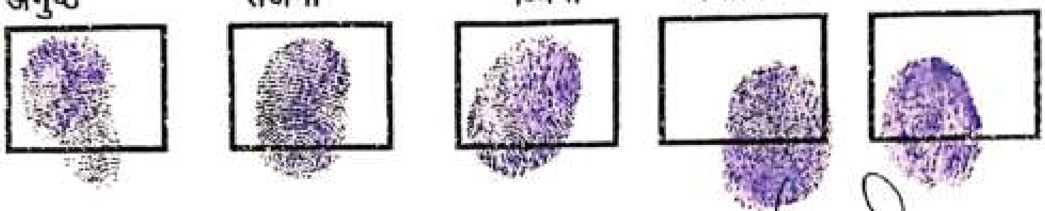

उपहारदाता के हस्ताक्षर

उपहारगृहिता के बाये हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

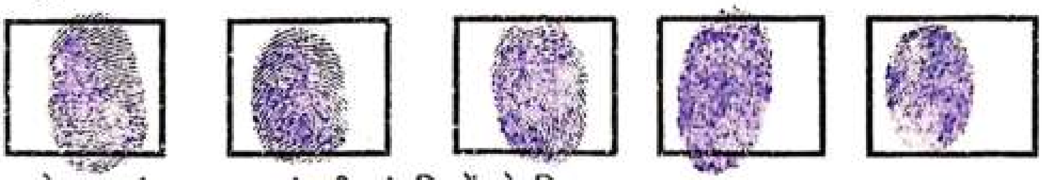

दाये हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह :

अगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

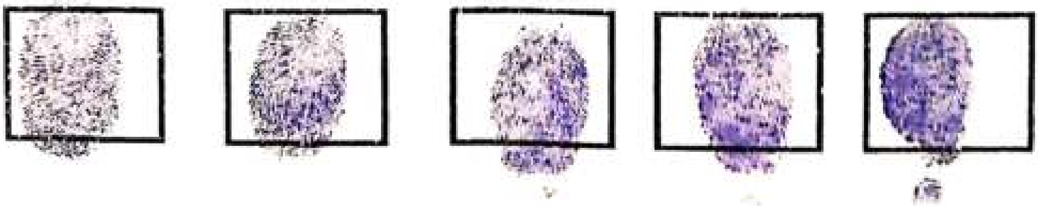

उपहारगृहिता के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

अतः आज दिनांक 16.01.2020 को स्थान देहरादून में समक्ष गवाहान यह उपहारपत्र अंकित कर दिया गया है ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

उपहारदाता

उपहारगृहिता

गवाह :-

ह० : ....

नाम : श्री पंचम सिंह

पुत्र स्व : श्री अमर सिंह

पता : थराली, चमोली, उत्तराखण्ड।

Aadhar No. : 2510 9684 5551

ह० : ....

नाम : श्री मुकेश जोशी

: अधिवक्ता

पता : सी.जे.एम. कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून।

Reg. No. : UK-800/2010

रचयिता : मुकेश जोशी (एडवोकेट), देहरादून।

Scanned with CamScanner

मानचित्र

भूमि खाता खतौनी संख्या 936 के भूमि खसरा संख्या 459घ, रकबा 187.5 वर्गमीटर, स्थित राजेश्वर नगर, फेज–1, मौजा धोरणखास, परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)।

उपहारदाता : श्री उमाशंकर सिंह रावत

उपहारगृहिता : श्री हरपाल सिंह रावत

NOT TO SCALE

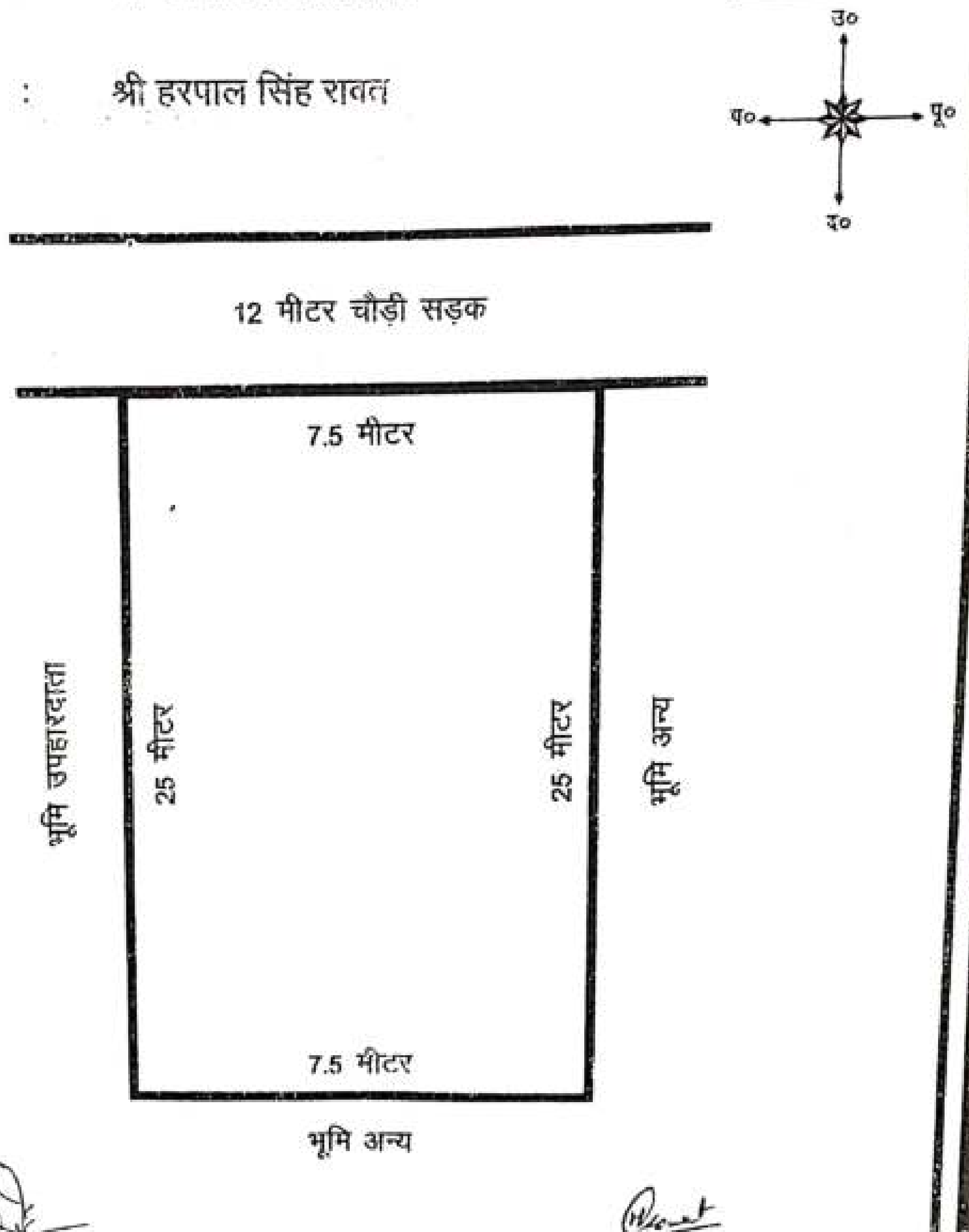

उपहारदाता

उपहारगृहिता

बही संख्या 1 जिल्द 3,480 के पृष्ठ 119 से 142 पर क्रमांक 455

पर आज दिनांक 16 Jan 2020 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,तृतीय
16 Jan 2020

Scanned with CamScanner